

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 70 / 2023

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रभुलाल पुत्र श्री हरकरण (विक्रेता), मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोडक्ट, जी-133, अजयमेरू इण्डस्ट्रियल एरिया, रोड नम्बर 7, पालरा, अजमेर जिला अजमेर।
2. श्री लोकेश खण्डेलवाल पुत्र श्री बृजमोहन खण्डेलवाल (प्रोपराईटर), मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोडक्ट, जी-133, अजयमेरू इण्डस्ट्रियल एरिया, रोड नम्बर 7, पालरा, अजमेर जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 1 श्री प्रभुलाल

—: आदेश :-

दिनांक— 16.04.2026

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) रिफाइन्ड पॉम ऑयल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैंश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.06.2023 को 12:30 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोडक्ट, जी-133, अजयमेरू इण्डस्ट्रियल एरिया, रोड नम्बर 7, पालरा अजमेर जिला अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री प्रभुलाल मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र



Jai

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

मांगा जो उसके पास मौके पर उपलब्ध था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय 10 गत्ते के कार्टून में 500 मिली की प्लास्टिक सीलड बोतल रिफाइन्ड पॉम ऑयल (प्रत्येक कार्टून में 24 बोतल) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई मिली। उक्त रिफाइन्ड पॉम ऑयल की गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जाँच हेतु 04 सीलड प्लास्टिक बोतल रिफाइन्ड पॉम ऑयल रु. 360/- रूपये श्री प्रभुलाल को नगद देकर गवाह श्री मुकेश कुमार वैष्णव के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री प्रभुलाल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा रिफाइन्ड पॉम ऑयल के चार नमूने तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-3886 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक मुचिअ/एफएसएसए/2023/9665 दिनांक 28.07.2023 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/926/एक्ट/2023/960 दिनांक 10.07.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया रिफाइन्ड पॉम ऑयल अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा द्वितीय जाँच हेतु अपील प्रस्तुत नहीं की। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 25.10.2023 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 25.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 1 श्री प्रभुलाल ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया एवं बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट में उनके संस्थान से लिये गये रिफाइन्ड पॉम ऑयल के नमूने को अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) बताया गया है, तत्समय नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त नमूना अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया। वर्तमान में प्रार्थीगण उच्च गुणवत्ता का रिफाइन्ड पॉम ऑयल का उपभोग/उपयोग कर रहे है। अतः न्यूनतम/कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के संलग्न जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया रिफाइन्ड पॉम ऑयल में BR Reading & Iodine Value निर्धारित मानक के अनुसार नहीं पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा मानक (फूड प्रोडक्ट स्टेण्डर्ड तथा फूड एडिटिव) मानक 2011 के विपरीत होने से उक्त रिफाइन्ड पॉम ऑयल अधिनियम की धारा 3(1)(a)(zx) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया है, अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर कुल रु. 10,000/- (दस हजार) शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 16.04.2026 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ज्योति ककबानी)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2026/1636-42

दिनांक : 20/4/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें जोन अजमेर।
4. श्री प्रभुलाल पुत्र श्री हरकरण (विक्रेता), मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोडक्ट, जी-133, अजयमेरु इण्डस्ट्रियल एरिया, रोड नम्बर 7, पालरा, अजमेर जिला अजमेर।
5. श्री लोकेश खण्डेलवाल पुत्र श्री बृजमोहन खण्डेलवाल (प्रोपराईटर), मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोडक्ट, जी-133, अजयमेरु इण्डस्ट्रियल एरिया, रोड नम्बर 7, पालरा, अजमेर जिला अजमेर।



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर